रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 382] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 1975/आश्विन 2, 1897

No. 382] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 1975/ASVINA 2, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

ORDER

New Delhi, the 24th September 1975

S.O. 535 (E).—In exercise of the powers conferred by section 40 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), and in supersession of all the previous orders issued under the said section, the Central Government hereby directs that on and from the 25th day of September, 1975, the Reserve Bank of India shall buy from, or sell to, any authorised person, who makes a demand in that behalf, at its office in Bombay, Calcutta, New Delhi or Madras or at its branch in Kanpur, Nagpur or Bangalore, the currency specified in column 2 of the Schedule here to annexed, for delivery at the place specified in column 3 of the said Schedule, at the rate specified in column 4 thereof.

SCHEDULE

S. No.	Currency	Place	Rate per rupee
1	2	3	4
1	Pound Sterling	London	The rate of exchange shall be the rate calculated with reference to the value of the rupee in terms of such major international currency units as the Reserve Bank may, subject to the approval of the Central Government, consider to be appropriate or necessary for this purpose, and with reference to such weights for the said currency units as may be specified by the Central Government in this behalf: Provided that the value of the rupee as so determined shall be expressed in terms of pounds sterling per Rs. 100/- and the Reserve Bank shall buy or sell the currency specified in column 2 with a margin not exceeding 2·25 per cent. above or below the amount in pounds sterling as so expressed according as such currency is bought or sold, as the case may be.

[No. F. 1/15/75-BP]

M. G. Kaul, Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1975

का० आ० 535 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त धारा के अधीन जारी किए गए सभी पूर्वतन आदेशों को अधिक्रान्त करते हुए, निदेश करती है कि 25 सितम्बर, 1975 को और उससे, भारतीय रिजर्व बैंक अपने मुम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली या मद्रास स्थित कार्यालय में या कानपुर, नागपुर या बंगलौर स्थित अपनी शाखा में, किसी प्राधिकृत व्यक्ति से, जो उसकी मांग करता है, इस से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट करेंसी, उक्त

अनुसूची के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट स्थान पर परिदान के लिए, उसके स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट दर पर खरीदेगा या उस को बेचेगा :—

अनुसूची

क्रम संख्या	करेंसी	स्थान	प्रति रुपया दर
1	2	3	4
1.	पौण्ड स्टर्लिंग	लन्दन	विनिमय की दर वह दर होगी जो ऐसे मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय करेंसी यूनिटों में, जिसे रिजर्व बैंक, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, इस प्रयोजन के लिए समुचित या आवश्यक समझे, रुपए के मूल्य के प्रति निर्देश से तथा उक्त करेंसी यूनिटों के लिए उतनी मात्राओं के प्रति निर्देश से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं, परिकलित की गई हो : परन्तु इस प्रकार यथा निर्धारित रुपए का मूल्य, प्रति सौ रुपए के लिए पौण्ड स्टर्लिंग में अभिव्यक्त किया जाएगा, तथा रिजर्व बैंक स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट करेंसी को, इस प्रकार यथा अभिव्यक्त पौण्ड स्टर्लिंग में रकम से अधिक या कम, जिस प्रकार कि ऐसी करेंसी को यथास्थिति खरीदा या बेचा जाता है, 2.25 प्रतिशत से अनधिक मार्जिन सहित खरीदेगा या बेचेगा ।

[सं० फा० 1/15/75—बी० पी०]

एम० जी० कौल, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975